तामील
र व
ख

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 , न्यायालय केम्पस सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सुमेरपुर (राज.) *

राजस्व विविध सं. 108 / 2014
दायरा तिथि 22.12.2014
निर्णय तिथि 11.02.2017

प्रार्थीगण **बनाम :** **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. जवानमल पुत्र वेनाराम जाति प्रजापत निवासी बिसलपुर तहसील बाली, जिला–पाली
2. सोहनलाल पुत्र बाबुलाल राठौड
3. दशरथ राठौड पुत्र बाबुलाल राठौड जातिगण नाई, निवासीगण सलोदरिया तह. सुमेरपुर

बनाम :

अप्रार्थीगण

1. अशोक पुत्र हरकचंद चौपडा जाति जैन निवासी रागिनी आर्ट जेनम एनक्लेव फ्लेट नं. 102, जे.एन. ऑफ जामली गली एण्ड फैक्ट्री लेन अबाऊ, चिंतामणी ज्वेलर्स, बोरीवली (वेस्ट) मुम्बई – 400092 (महाराष्ट्र)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) , सुमेरपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTAct, 1955</u>

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से सरकारी पेरोकार नायब तहसीलदार, सुमेरपुर उपस्थित।

–: <u>निर्णय</u> :–

<u>निर्णय तिथि 11.02.2017</u>

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प सुमेरपुर दिनांक 11.02.2017 कोर्ट सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सलोदरिया तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं 01 रकबा 0.8700 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थी के कब्जे कास्त की खोतदारी भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में श्री बाबुलाल पुत्र खीमाजी नाई निवासी सलोदरिया की खातेदारी भूमि थी जो बाबुलाल द्वारा प्रार्थी को जरिये रजिस्ट्री बेचान करने पर नामान्तरकरण सं. 176 दर्ज होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी चली आ रही है। प्रार्थी के पूर्व खातेदार कदीमी से अपने खेत पर फसल बोने, जोतने जाने हेतु ट्रेक्टर ले जाने एवं बैलगाडी लाने –ले जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता पुराने समय से रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग में प्रार्थी द्वारा लिया जा रहा है।

(2) कि वर्तमान मौका नक्शा अनुसार खसरा नं. 02 व 03 में से होकर खसरा संख्या 1 में आना जाना होता है। उक्त रास्ता पिछले कई वर्षो से चला आ रहा था, जो नक्शे में आज भी स्थित है। जिसका उपयोग – उपभोग प्रार्थी ही करता आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने , ट्रेक्टर एवं बैलगाडी लाने –ले जाने के लिए उक्त रास्ते का उपभोग करता आ रहा है। इस रास्ते को खसरा संख्या 02 व 03 में अप्रार्थी संख्या – 01 द्वारा रोक दिया गया है जिसमें प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर ट्रेक्टर एवं बैलगाडी लाने –ले जाने में भारी असुविधा हो रही है जिसमें प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसुस हुई।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार – पेज 2

Scanned by CamScanner

(3) कि प्रकरण विचाराधीन रहते हुऐ प्रार्थी द्वारा मौजा सलोदरिया के खसरा नं. 01 रकबा 0.8700 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि श्री सोहनलाल पुत्र बाबुलाल राठौड , दशरथ राठौड पुत्र बाबुलाल जाति नाई (सैन) निवासीगण – सलोदरिया को बेचान करने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 220 के श्री सोहनलाल , दशरथ राठौड पुत्रगण बाबुलाल जाति में जाति नाई (सैन) निवासीगण – सलोदरिया हाल पालघर जिला – ठाणे (महाराष्ट्र) के नाम खातेदारी दर्ज हुई। वकील प्रार्थी ने उक्त वर्णित खरीद दारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प सुमेरपुर में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थी को दी गई। तत्पश्चात् कृषि भूमि के नये खातेदार सोहनलाल, दशरथ राठौड पुत्रगण बाबुलाल जाति नाई की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर मनन करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सी.पी. सी. Order – 1 Rule 10 स्वीकार कर कृषि भूमि खरीददार दोनो प्रार्थीगण को बतौर प्रार्थी संयोजित करने का आदेश दिया गया जिस पर नया संशोधित करने पर आदेश दिया गया जिस पर नया संशोधित प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

(4) कि अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर जवाब प्रस्तुत हुआ। मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का पालडी व भू.अ.नि. पालडी से प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 01 रकबा 0.8700 हैक्टर में आने जाने हेतु रेकर्ड में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण के दक्षिण में खसरा नं. 02 , अप्रार्थी सं. 01 अशोक कुमार पुत्र हरकचंद चौपडा (जैन) निवासी शिवगंज की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण खसरा नं. 02 की पश्चिम माठ के सहारे सहारे अपनी खातेदारी में कृषि कार्य करने हेतु आना जाना करते है। जो रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता भूमि में कोई निर्माण कार्य, पेड इत्यादि सरंचना नही है। प्रस्तावित रास्ता लम्बाई में 45 मी. व चौडाई में 04 मी. अर्थात 45X4 = 0.0180 हैक्टर है जो पत्रावली के सलंग्न राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण रास्ते का प्रार्थना पत्र रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त करने का प्रकरण होने से प्रार्थीगण को शीघ्र न्याय सुलभ कराने की मंशा से एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से वकुलाय पक्षकारान व सरकारी पेरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर की बहस सुनी गई।

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते को नक्शें में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार सरहद मौजा सलोदरिया तहसील सुमेरपुर खसरा नं 02 रकबा 3.46 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि के पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे लम्बाई में 45 मीटर व चौडाई मे 04 मीटर अर्थात 45X4 = 0.0180 हैक्टर भूमि को राजस्व रैकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थीगण सोहनलाल, दशरथ राठौड पुत्रगण बाबुलाल नाई निवासी सलोदरिया राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 (1955 का अधि. – 3) की धारा 251 क की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल (रकबा) की कीमत वर्तमान डी.एल.सी. का दो गुणा राशि की गणना तहसील राजस्व लेखाकार तहसील सुमेरपुर से करवाने के पश्चात प्रस्तावित खातेदार अप्रार्थी अशोक कुमार पुत्र हरकचंद चौपडा (जैन) निवासी शिवगंज हाल रागिनी आर्ट जेनम एनक्लेव फ्लेट नं. 102, जे.एन. ऑफ जामली गली एण्ड फैक्ट्री लेन अबाऊ, चिंतामणी ज्वेलर्स, बोरीवली (वेस्ट) मुम्बई – 400092 (महाराष्ट्र) को जरिये चैक/डी.डी. राशि का भुगतान करेंगे।

तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर व पटवारी हल्का पालडी माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर घोषित रास्ता भूमि का राजस्व नक्शे में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। पत्रावली के सलंग्न राजस्व नक्शा जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है वो निर्णय का अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प सुमेरपुर में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (राज.)